



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 735 राँची, मंगलवार, 19 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2024

संख्या-4/स्था०-801/2024 का. 5948--विभागीय अधिसूचना संख्या-4809 दिनांक-23.07.2024 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री उदय कृष्ण परिहस्त, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत कृषि निदेशालय को स्थानान्तरित करते हुए प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना, दुमका में पदस्थापित किया गया है ।

2. उक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री उदय कृष्ण परिहस्त प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत कृषि निदेशालय के प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना, दुमका में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन को रद्द किया जाता है ।

3. झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ 4 में अंकित विभाग/कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री उदय कृष्ण परिहस्त, प्रशाखा पदाधिकारी	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत कृषि निदेशालय	मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, देवघर
2.	श्री प्रेम भगत, प्रशाखा पदाधिकारी	मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, देवघर	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत कृषि निदेशालय

2. श्री परिहस्त का स्थानान्तरण उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। अतः वित्त विभागीय संकल्प संख्या-737/वि०, दिनांक-27.03.2018 के आलोक में श्री परिहस्त को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

3. नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त पदाधिकारियों को नव पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करने हेतु यथा शीघ्र विरमित करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-4800 दिनांक-29.07.2022 की कंडिका-V श्री उदय कृष्ण परिहस्त कुमार एवं श्री प्रेम भगत पर यथावत् लागू हूँगी।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
